शुष्क वन अनुसंधान संस्थान
(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्थान)
डाकघर–कृषि उपज मण्डी, न्यू पाली रोड़, जोधपुर–342005

ARID FOREST RESEARCH INSTITUTE
(Indian Council of Forestry Research & Education,
An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forests & Climate change, Govt. of India)
PO: Krishi Upaz Mandi, New Pali Road, Jodhpur – 342 005
Tel. No. 0291-2722549 (O)/2722764 (Fax)

क्रमांक 68–/शुअवंस/सुएवंसे (संपदा प्रकोष्ठ)/185(II)/2022 दिनांकः 16th सितम्बर2022

सेवा में,

M/s Vyas Advertising.
8, Jawari Market, Opp. Bheru Bagh,
Jain Mandir Lane, Near Dadu Dayal Vatika,
JODHPUR-342001
Ph. No. 9314712925

विषयः विज्ञापन के प्रकाशन बाबत ।
संदर्भःपत्र कं.1861/शुअवंस/क्रय/33(1)IX/2022 दिनांकः22.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि इस पत्र के साथ संलग्न विज्ञापन सामग्री (अनुलग्नक–I) को दैनिक भास्कर (हिन्दी) के जोधपुर संस्करण में प्रकाशन किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन सामग्री (अनुलग्नंक–I) को आगामी दैनिक भास्कर (हिन्दी) के जोधपुर संस्करण में कम से कम जगह में प्रकाशन कर सम्बन्धित बिल तीन प्रतियों में निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के नाम बना कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाने का कष्ट करें। बिलों की छायाप्रति स्वीकार नही की जायेगी।

भवदीय,

(कृपा चन्द जेदिया)
भंडार अधिकारी

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार

प्रतिलिप्िः–

1. प्रभारी अधिकारी, सुचना प्रोद्यौगिकी प्रकोष्ठ,शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,जोधपुर– इस पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को संस्थान की वेबसाईड में अपलोड करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. संबंधित प्रभागाध्यक्ष एवं प्रभारी अधिकारी,संपदा प्रकोष्ठ, द्वारा प्रभागाध्यक्ष,सुविधा एवं सेवा प्रभाग,शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,जोधपुर।

आवक क्र./Inward No. 184/IT/AFRI/Jw/......
दिनांक/Dated: 19/09/2022

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद,

(पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था)

डाकघर : कृषि उपज मण्डी, न्यू पाली रोड, जोधपुर – 342005

सत्यमेव जयते

क्रमांक03/शुवअसं/सुएवंसेप्र/संपदा प्रकोष्ठ/185-II/क्रय/2022 दिनांकः 16 सितम्बर,2022

घास नीलामी की सूचना

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी) में उगी घास की नीलामी बंद लिफाफे में दिनांकः23.09.2022 (4.00 बजे) हेतु संस्थान के वेबसाईटः http://afri.icfre.org. का अवलोकन करें।

भंडार अधिकारी

घास नीलामी (बंद लिफाफे मे) की सूचना

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी) के मुख्य परिसर,भूखण्ड संख्या 729 परिसर एवं विभिन्न प्रायौगिक क्षेत्रों में उगी घास की बंद लिफाफे में नीलामी हेतु **नीलामी दिनांक 23.09. 2022 को अपराह्न 3.00 बजे सामुदायिक भवन में होनी है।** इच्छुक व्यक्ति जो नीलामी में भाग लेना चाहते हो वे रूपये 500.00 पांच सो रुपये मात्र एंव जी एस टी रुप्ये 90.00 कुल रुपये 590.00 पांच सो नब्बे रूपये मात्र का डी.डी. या पोस्टल आर्डर निदेशक,आफरी के नाम बना कर फार्म खरीदकर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्व साधारण से अनुरोध है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले संबंधित जगहों पर उगी घास का मौका मुआयना हेतु कार्यालय समय प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.30 बजे तक प्रभारी अधिकारी,संपदा प्रकोष्ठ एवं संबंधित प्रभागाध्यक्ष से संपर्क कर सकते है। नीलामी की प्रकिया निम्नलिखित शर्तो के साथ नीलामी स्थल पर उपस्थित समिति के समक्ष की जायेगीः–

नीलामी की शर्तेः–

1. नीलामी में भाग लेने के लिए निर्धारित फार्म के साथ धरोहर राशि के रूप में रूपये 5,000.00 (अक्षरे पांच हजार मात्र) डी.डी. निदेशक,आफरी के नाम बना कर संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

2. सफल कयकर्ता को कुल राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के पक्ष में बना कर दिनांकः 26.09.2022 को कार्यालय समय में प्रभारी अधिकारी,भंडार में जमा करवानी होगी। घास नीलामी की पूरी रकम जमा होने के साथ–साथ घास काटने का आदेश जारी कर दिया जायेगा।

3. सफल बोलीदाता द्वारा दिनांकः 26.09.2022 को कार्यालय समय में प्रभारी अधिकारी भंडार में जमा नही करवाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाऐगी। प्रत्येक क्षेत्र की घांस के लिए अलग अलग बोली प्रस्तुत करनी होगी।

4. जिन क्षेत्रों में घास कटाई का आदेश दिया जाएगा, उन्हे एक किनारे से आरम्भ कर समान रूप से सभी प्रकार की घास को जड़ के पास से काटते हुए आगे बढ़ना होगा। छोड़–छोड़ कर घांस काटने की अनुमति नहीं होगी।

5. घास काटने के औजार एवं घास को ले जाने के साधन की व्यवस्था कयकर्ता को स्वयं करनी होगी।

6. प्रभारी अधिकारी,संपदा प्रकोष्ठ द्वारा कार्यदिश जारी किया जायेगा और कार्यदिश के दिन से 45 दिन की अवधि तक घास की कटाई पूरी करनी होगी। कटाई एवं ले जाने के संबंध में समयावधि बढ़ाई नहीं जाएगी।

7. घास काटने का समय प्रातः 7.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक रहेगा।

8. घास नीलामी के क्षेत्रों में केवल घास काटने की ही इजाजत दी जाएगी व मवेशी चराने की इजाजत नहीं होगी। वहां उगे पेड़–पौधों को कोई नुकसान नहीं किया जायेगा, अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवेकानुसार क्षतिपूर्ति बतौर जुर्माना वसूल किया जाएगा। जिसमें जमानत राशि जब्त किया जाना भी सम्मिलित होगा। साथ ही भविष्य में होने वाली घास नीलामियों में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।

9. आवासीय परिसरों में से घास काटने के पूर्व वहां के रहवासी को सूचित करना होगा।

10. सभी प्रायौगिकी क्षेत्रों में फिल्ड इंचार्ज की उपस्थिति में घास काटी जायेगी

11. वन पारिस्थितिकी प्रभाग के प्रायोगिकी क्षेत्र में कार्य दिवसों में कार्यालय समय 9.00 सक 5.30 बजे तक में ही घास काटने की अनुमति होगी। इस प्रायौगिकी क्षेत्र में धांस काटने हेतु 45 की बजाय 55 दिवस का समय होगा।

12. आवासीय परिसरों में आवासों की पीछे तथा रहवासियों द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों में घास काटने की अनुमति नही होगी।

13. मुख्य परिसर,कार्यालय भवनों के अन्दर तथा लॉन क्षेत्रों में घास काटने की अनुमति नहीं होगी।

14. घास को बाहर ले जाने के लिये प्रवेश द्वारों से ही आना जाना होगा। घास को बाहर ले जाने के पूर्व चौकीदार को जांच करना आवश्यक होगा। प्रायौगिक क्षेत्रों में संबंधित प्रभाग के अधिकृत कर्मचारी की देखरेख में घास को बाहर ले जाना होगा।

15. एक क्षैत्र में घास काटने वाले 06व्यक्तियों के नाम,पता एवं मोबाईल नम्बर की जानकारी संपदा अनुभाग को देनी होगी। इनके अलावा अन्य व्यक्तियों को घास काटने के लिये अधिकृत नहीं किया जायेगा। घास काटने वाले व्यक्तियों के गेटपास संपदा प्रकोष्ठ से जारी किये जायेगे।

16. दोनो परिसरों एवं प्रायौगिक क्षेत्रों की अन्य किसी सामग्री से छेडछाड करना सख्त मना होगा तथा किसी भी प्रकार का नुकसान करने पर हर्जाना खर्चा नीलामीकर्ता को देना होगा।

17. नीलामी को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर को होगा।

18. नीलामी की अधिकतम विकय को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर को होगा।

प्रभागाध्यक्षा
सुविधा एवं सेवा प्रभाग

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्,
(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था)
डाकघर : कृषि उपज मण्डी, न्यू पाली रोड, जोधपुर – 342005
ARID FOREST RESEARCH INSTITUTE
Indian Council of Forestry Research & Education,
(An Autonomous Body of the Ministry of Environment & Forests, Govt. of India)
P.O. Krishi upaz Mandi, New Pali Road, Jodhpur- 342005

निविदा ज्ञापन कमांकः04/शुवअसं/सुएवंसेप्र/कय/सुएवंसेप्र(संप्र)/185(II)/2022 दिनांकः .2022

<u>निविदा पत्र</u>

1. निविदा की सूचना
2. निविदा प्रपत्र
3. निविदा की शर्ते

निविदा दस्तावेज कमांकः......................को ....
.... को जारी किया जाता है।

निविदा प्रपत्र की कीमत रूपये 590.00 डिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/पोस्टल आर्डर कमांकः................ दिनांक.............................. के द्वारा प्राप्त किया।

जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर व

सील

Schedule to tender

मोहर बंद निविदा प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

निदेशक,
शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,
डाकघर– कृषि उपज मण्डी,
न्यू पाली रोड,
जोधपुर–342005

निविदा प्रपत्र

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा जारी घास नीलामी "जहाँ है जैसा है" स्थिति के आधार पर निस्तारण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर अधोहस्ताक्षरकर्ता निम्न विवरणों के साथ अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है।

1	निविदाकर्ता की फर्म/व्यक्ति का नाम	
2	फर्म/व्यक्ति का पता	
3	फर्म/व्यक्ति के मालिक की पहचान हेतु दस्तावेज (ड्राईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/मतदाता पहचान–पत्र/ पेन कार्ड/आधार कार्ड की छाया प्रतियां)	
4	फर्म/व्यक्ति के पते के सत्यापन हेतु दस्तावेज (बिजली/पानी/टेलीफोन के बिल/बैंक पासबुक/जी.एस.टी के पंजीकरण की छाया प्रतियां)	
5	फर्म/व्यक्ति के पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां	
6	फर्म/व्यक्ति के जी.एस.टी.नम्बर एवं छायाप्रति	
7	फर्म/व्यक्ति के बैंक अकाउन्ट की पासबुक की छायाप्रति	
8	धरोहर राशि	
9	धरोहर राशि के बैक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक एवं दिनांक	
10	टेलीफोन/मोबाईल नम्बर	

क्रम संख्या	घास का विवरण "जहाँ है जैसा है के आधार पर"	नीलामी राशि in Rupees
1	मुख्य परिसर	(अंकों में) .... (शब्दों में) ....
2	729 आवासीय परिसर	अंकों में) .... (शब्दों में) ....
3	वन संरक्षण फिल्ड	अंकों में) .... (शब्दों में) ....
4	इकोलोजी फिल्ड	अंकों में) .... (शब्दों में) ....
5	वन आनुवंशिकी रोहिडा एवं बबूल प्रा.क्षेत्र	अंकों में) .... (शब्दों में) ....
6	आवंला प्रा.क्षेत्र	अंकों में) .... (शब्दों में) ....

उपरोक्त जानकारी सही है एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दिये हैं।

स्वयं/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मय मोहर

मेरे/मेरी फर्म द्वारा समस्त शर्तो का पठन कर लिया गया है तथा मैं/मेरी फर्म समस्त शर्तो का पालन करने हेतु पूर्णतय सहमत हूँ। मैने प्रस्तावित निस्तारण घास का निरीक्षण भी कर लिया है।

दिनांकः

स्वयं/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मय मोहर